न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/311
दायरा तिथि : 05.08.2022
फैसला तिथि : 21-12-22
प्रार्थीगण :–

1. जेठाराम पुत्र केरारामजी जाति जणवा चौधरी
   निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. फुआराम पुत्र रूपारामजी जाति कुम्हार
   निवासी बेरा तालुडी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. दरगाराम पुत्र हीरारामजी जाति रिरवी
   निवासी बेरा तालुडी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. सुजाराम पुत्र भेरारामजी जाति रिरवी
   निवासी बेरा तालुडी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. जैसाराम पुत्र श्री देवारामजी जाति लदार के कायम मुकाम वारिशान:–
   5/1 झालाराम पुत्र स्वर्गीय जैसारामजी जाति लदार
   निवासी बेरा तालुडी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

1. फतीबाई पत्नि चुन्नीलालजी जाति घाँची
2. सोहनलाल पुत्र चुन्नीलालजी जाति घाँची
3. गुणेशराम पुत्र रूपारामजी जाति घाँची
4. थानाराम पुत्र रूपारामजी जाति घाँची
5. गमनाराम पुत्र रूपारामजी जाति घाँची
   तमाम निवासीगण बेरा तालुडी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 21-12-22

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण कर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण संख्या 01, 02 की संयुक्त सह खातेदारी की भूमि बाली के खसरा नंबर 2461 रकबा 0.28 हैक्टर, एवं प्रार्थीगण संख्या 03, 04 की संयुक्त सह खातेदारी की भूमि बाली के खसरा नंबर 2462 रकबा 0.07 हैक्टर एवं प्रार्थीगण संख्या 05 की खातेदारी भूमि बाली के खसरा नंबर 2460 रकबा 0.16 हैक्टर की स्थित है, प्रार्थीगण की इन सह खातेदारी भूमियो के पडौस में अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की संयुक्त सह खातेदारी भूमियाँ खसरा नंबर 2459, 3830/2459, 3831/2459, 3833/2459, 3834/2459, 3832/2459 कृषि भूमियाँ स्थित है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2459 की माट को ताडकर प्रार्थीगण की भूमि में विवाद उत्पन्न कर रहे है, जिस पर प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2460 2461, 2462 के तमाम सह खातेदारो ने अप्रार्थीगण को अपनी–अपनी कृषि भूमि का नाप व सीमाकन करने का निवेदन किया, परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 से 05 ने नाप व सीमांकन से इन्कार दिया। तब प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि के नाप व सीमाकन के लिये तहसीलदार, बाली को आवेदन किया। जिस पर तहसीलदारजी, बाली के आदेश क्रमॉक/67/22.6.2022 व 68/22.6.2022 से सीमांकन करवाया गया। जिस सीमांकन को अप्रार्थीगण द्वारा मानने से इन्कार कर दिया तथा पटवार हल्का, बाली द्वारा बताये गये निशानात को भी हटा दिया तथा अप्रार्थीगण तमाम ने धमकी दी कि हम इस सीमांकन को नहीं मानते है। यदि तारबंदी या पत्थर खडे किये तो हम तोडेगे तथा तमाम अप्रार्थीगण लडाई झगडा कर मौके पर विवाद करने लगे, जिसरो प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन पत्र अतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत किया है। अतः जरिये पुलिस पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे व बन्ट में कोई खातेदारी भूमि कृषि भूमि के रूप मे उपयोग में नहीं आ रही है बल्कि तमाम प्रार्थीगण के पक्के मकान मौके पर बने हुये हैं। जो वर्तमान में इनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि के अलावा करीब एक बीघा जमीन इनके ज्यादा कब्जे में है। तमाम अप्रार्थीगण मौके पर अवैध रूप से कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग ले रहे है। जिसका आबादी संपरिवर्तन भी नहीं करवाया है। जबकि अप्रार्थीगण तमाम कास्तकार व्यक्ति है जो अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में करते है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कोई धोरा–माठ नहीं है।

पेज लगातार.../02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/311
अनवान जेठाराम वगैरा बनाम फतीबाई वगैरा
अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम,1956

बल्कि प्रार्थीगण के मकानो के पीछे अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई हैं। जिस पर अप्रार्थीगण काश्त करते आ रहे है जिसमें विवाद पैदा करने की नियत से प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण के मौके पर बिना सांपरिवर्तन करवाये बडे बडे मकान बना दिये है जिस कारण वादग्रस्त भूमि का सही नाप व सीमांकन किया जाना संभव नहीं है। लेकिन बावजुद इसके प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने हेतु गलत नाप व सीमांकन करवा कर दखलन्दाजी पैदा कर रहे है। अपने जवाब में तहसीलदार, बाली के सीमांकन आदेश की जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं होना वर्णित करते हुये निवेदन किया कि तमाम प्रार्थीगण के मकानात बने हुये है तथा पटवारी हल्का ने स्पष्ट कहा कि मकान बन जाने के बाद खातेदारी भूमि का सीमा चिन्ह नहीं मिल रहा हैं जिस कारण मौके पर प्रार्थीगण के बने बनाये मकानो के संपुर्ण कब्जे को सम्मिलित करते हुये अगर नाप किया जाता है तो प्रार्थीगण के पास 0.0856 हैक्टर भूमि ज्यादा कब्जे की है। और उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण अपना आबादी भूमि पर अतिक्रमण जताते है एवं उसके पीछे अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की नपवाई करवा कर अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि को हडप करने की नियत से प्रार्थीगण ने झुठी कार्यवाही करा रखी है। प्रार्थीगण के तमाम के मौके पर मकान बने हुये है। जिस कारण उनकेद्वारा तारबन्दी कराने, पत्थर खडे करने, उनको तोडने आदि के तमाम कथन गलत वर्णित किये गये है। मौके पर खसरा नंबर 2460, 2461, 2462 पर प्रार्थीगण एवं अन्य सह खातेदारो के मकान बना कर आबादी व वाणिज्यिक भवनो के रूप में उपयोग में आ रही है। जिसमें इन खसरा नम्बरो के तमाम खातेदार आवश्यक पक्षकार है। जिसके अभाव में प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। जवाब में अंत में निवेदन किया कि मौजा बाली के खसारा नंबर 2460, 2461, 2462 की भूमि पर प्रार्थीगण के बिना आबादी परिवर्तन करवाये मकानात बने हुये है जिसका सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करवाई जा सकती है जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत होने पर वकील प्रार्थीगण श्री दुदाराम चौधरी व वकील अप्रार्थीगण श्री गणपतलाल चौधरी की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बाली के खसरा नंबर 2459 एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमिया बाली के खसरा नंबर 2460, 2461, 2462 की सीमाएँ आपसी में सटती हुई है। तथा दोनो पक्षो के मध्य सीमा का विवाद है, जिस तथ्य की पुष्टि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो एवं प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों से होती है। जिससे प्रकरण के न्याय पूर्ण निर्णय के लिये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियॉ खसरा नंबर 2460, 2461, 2462 एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2459 की पैमायश के बाद नियत सीमा पर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0 अ0 बाली को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि दोनो पक्षो की भूमि की पैमायश कर राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 एवं धारा 111 में वर्णित प्रावधानो की पालना करते हुये पत्थर गढी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। इस हेतु आवश्यकता होने पर पुलिस जाब्ता थानाधिकारी पुलिस थाना, बाली से प्राप्त कर सकते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 21-12-22 को मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner